

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
रामेश्वरलाल पुत्र बिरदाराम जाति कुमावत सा. पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर <b>231 /2023</b>		<b>GCMS No. 2023/ 377</b>
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय. इनिलियल्स जज	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए	
10.07.2023	<p>वादी/प्रार्थी रामेश्वरलाल पुत्र बिरदाराम जाति कुमावत सा. पलाड़ा तहसील कुचामनसिटी द्वारा "प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 राहत शिविर" के दौरान प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित की। वाद/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्बत <b>2073-2076</b> ग्राम <b>सीतापुर</b> पटवार मण्डल <b>पलाड़ा</b> तहसील कुचामनसिटी के खाता नम्बर <b>134</b> प्रस्तुत कर कथन किया है। वादी/प्रार्थी के नाम की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि <b>रामेश्वर पुत्र बिरदाराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार</b> दर्ज है, जो कि अशुद्ध है।</p> <p>वादी/प्रार्थी का शुद्ध <b>रामेश्वरलाल पुत्र बिरदाराम जाति कुमावत सा. देह खातेदार</b> है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति इत्यादि प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी <b>पलाड़ा भूअ.नि. मण्डावरा</b> तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से वादी का नाम शुद्ध किये जाने योग्य है जिसकी पुष्टि उपलब्ध उपरोक्त दस्तावेजात, पटवारी हल्का, नि.भू.अ., तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट से साबित है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p><b>उपखण्ड अधिकारी</b> <b>कुचामन सिटी ( नागौर )</b></p>	
		